



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 07.06.2025

थाना नहतौर पुलिस ने 06 अभियुक्तों को चोरी की गयी 10 मोटरसाइकिल / स्कूटी सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

दिनांक 06.06.2025 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम सादिकाबाद कट से 02 अभियुक्तगण 1.विनय कुमार पुत्र दयाराम निवासी मुन्नी देवी कॉलोनी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2.राजा कुमार पुत्र श्री चरण सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी की गयी दो मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0 नं0 UK08AQ1653 व स्पैलण्डर प्रो रजि0 नं0 UK08AG2698 सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार दोनो अभियुक्तगण 1.विनय कुमार व राजा कुमार ने बताया कि उन्होने अपने 04 अन्य साथी 1.दिनेश कुमार पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.नकुल कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम नौरगांवाड थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3.कृष्णा पुत्र दिनेश कुमार निवासी मौ0 लोहियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 4.अरुण कुमार पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम जटनंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के साथ मिलकर चोरी की गयी अन्य 04 स्कूटी व 04 मोटरसाइकिल ग्राम सादिकाबाद रोड स्थित आम के बाग में छिपाकर रखी है, जिन्हे बेचने के लिए उनके चार अन्य साथी वहां बैठे है । पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त विनय, नकुल, कृष्णा, अरुण कुमार उपरोक्त को मौके पर जाकर गिरफ्तार किया गया व उनके कब्जे से चोरी की गयी 04 स्कूटी व 04 मोटरसाइकिल बरामद की गयी । इस सम्बंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 141/2025 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि ये सभी मोटरसाइकिल उन्होने जनपद हरिद्वार व अन्य जगहों से चोरी की है । इनमे से स्पलेण्डर प्लस रजि0 नं0 UK08AQ1653 करीब 03 साल पहले शिवालिक नगर रानीपुर हरिद्वार से चोरी की थी, स्पलेण्डर प्रो रजि0 नं0 UK08AG2698 बादराबाद से करीब 02 साल पहले चोरी की थी । इन वाहनों को चोरी कर इनकी पहचान छुपाने के लिये धोखा देने के उद्देश्य से किसी के ढांचे में बदलाव कर किसी के रजि0 नं0 में बदलाव कर तथा किसी का चेसिस नम्बर मिटाकर / घिसकर इनको छिपाकर रखते है तथा मौका मिलने पर राह चलते व्यक्ति / कबाडियों को कम दामों में बेच देते है ।

बरामद वाहनों के सम्बंध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0 न0 UK08AQ1653 की चोरी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली रानीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड पर मु0अ0सं0 562/22 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत है । दूसरी मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्रो रजि0 नं0 UK08AG2698 की चोरी के सम्बन्ध में थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड पर मु0अ0सं0 130/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत है । स्कूटी होण्डा एक्टिवा 5 जी रंग ग्रे रजि0 नं0 UK08AV2974 की चोरी के सम्बन्ध में थाना सिडकुल हरिद्वार पर मु0अ0सं0 38/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है । स्कूटी टी0वी0एस0 जूपीटर रंग ग्रे रजि0 नं0 DL6SBN0217 के सम्बंध में थाना न्यू उस्मानपुर जनपद नोर्थ ईस्ट दिल्ली पर मु0अ0सं0 9191/25 धारा 305(b) बीएनएस पंजीकृत है । चोरी की गयी अन्य मोटरसाइकिल / स्कूटी के सम्बंध में जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

- 1.विनय कुमार पुत्र दयाराम निवासी मुन्नी देवी कॉलोनी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.राजा कुमार पुत्र श्री चरण सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.दिनेश कुमार पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4.नकुल कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम नौरगांवा थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 5.कृष्णा पुत्र दिनेश कुमार निवासी मौ0 लोहियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 6.अरुण कुमार पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी ग्राम जटनंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी -

- 1.मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0 नं0 UK08AQ1653 चैसिस नं MBLHAR086HHJ2486 इंजन नं0 HA10AGHHJC3596
- 2.मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्रो रजि0 नं0 UK08AG2698 चैसिस नं0 MBLHA10A3EHF19148 इंजन नं0 HA10ELEHF45016
- 3.होण्डा एक्टिवा 5 जी रंग ग्रे रजि0 नं0 UK08AV2974 चैसिस नं0 ME4JF50AJKA100348 इंजन नं0 JF50EA0100108
- 4.स्कूटी होण्डा एक्टिवा 5 जी रंग मजिस्टिक ब्राऊन रजि0 नं0 UP20BN6080 चैसिस नं0 ME4JF50BGKW044692 इंजन नं0 JF50EW1044743
- 5.स्कूटी टी वी एस जूपीटर रंग ग्रे रजि0 नं0 DL6SBN0217 चैसिस नं0 MD626CG55R3G25480 इंजन नं0 DG5G3809760
- 6.स्कूटी हीरो डेस्टिनी 125 रंग काला रजि0 नं0 UK08AT6081 चैसिस नं0 MBLJFN04XJGM03088 इंजन नं0 JF17EJJGM04071
- 7.स्पलेण्डर प्लस रंग सिल्वर मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UK08AS1851 चैसिस नं0 MBLHAR073JHH08069 इंजन नं0 HA10AGJHH12089
- 8.मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0 नं0 UK08AP3337 चैसिस नं0 MBLHAR083HHF35009 इंजन नं0 HA10AGHHEH7138

9.मोटरसाइकिल स्पैलण्डर प्लस रजि० नं० UK08AP9383 चेसिस नं० MBLHAR080HHK15787 ईंजन नं० HA10AGHHKB5445

10.मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस बिना नम्बर

आपराधिक इतिहास विनय कुमार उपरोक्त –

- 1.मु०अ०सं० 141/205 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०सं० 297/2019 धारा 201/302/364 भादवि० थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०सं० 108/2021 धारा 379/411 भादवि० थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.मु०अ०सं० 58/2021 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 5.मु०अ०सं० 59/2021 धारा 420/465 भादवि० नगीना देहात जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास राजा कुमार उपरोक्त –

- 1.मु०अ०सं० 141/205 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०सं० 566/2016 धारा 323/354(ख)/427/452/504/506 भादवि०7/8 पॉक्सो स्योहारा बिजनौर
- 3.मु०अ०सं० 79/2019 धारा 34/376/452/506 भादवि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास दिनेश कुमार उपरोक्त –

- 1.मु०अ०सं० 141/205 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस नहतौर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास नकुल कुमार उपरोक्त –

- 1.मु०अ०सं० 141/205 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस नहतौर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास कृष्णा उपरोक्त –

- 1.मु०अ०सं० 141/205 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस नहतौर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अरुण कुमार उपरोक्त –

- 1.मु०अ०सं० 141/205 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थानाध्यक्ष श्री धीरज सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.उ०नि० श्री भारत सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.उ०नि० श्री संयम यादव थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 4.कां० 2493 मनीष कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 5.कां० 1276 राहुल कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 6.कां० 1345 विक्रान्त राणा थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 7.कां० 1858 मनीष कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 8.कां० 1902 प्रवीण कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 9.कां० 2015 विशाल कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक 07.06.2025

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 80/2025 धारा 137(2)/3(5)/61(2)/351(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.04.2025 को वादी ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जेनिस पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया व 1.सुशील पुत्र सडवा 2.रीना पत्नी सुशील व 3.कल्लन पुत्र बांसे निवासीगण ग्राम नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा हमसाज होकर वादी की पुत्री की शादी जेनिस उपरोक्त के साथ करा दी तथा वादी को झूठे मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 80/2025 धारा 137(2)/3(5)/61(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी । स्थानीय पुलिस द्वारा अपहर्ता को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया । विवेचना प्रचलित है ।



कार्यवाही:-

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जेनिस पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जेनिस पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री राजपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 347 सचिन देशवाला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 07.06.2025

थाना नगीना पुलिस ने चोरी की 02 घटनाओं का अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड के दौरान हिस्ट्रीशीटर (घायल अवस्था में) सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये 02 मोबाइल फोन, बैटरा व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा / अवैध शस्त्र बरामद।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.06.2025 को वादी श्री रामलाल पुत्र घसीटा निवासी तकीपुर नरोत्तम उर्फ धर्मपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि दिनांक 05.06.2025 की रात्रि में सन्त शिरोमणि रविदास मन्दिर से अज्ञात चोरों ने Luminous कम्पनी का बैटरा चोरी कर लिया। इस सम्बंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 96/2025 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.06.2025 को वादी श्री विशाल पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम कालाखेडी थाना नगीना जनपद बिजनौर ने तहरीर दी दिनांक 05.06.2025 की रात्रि में अज्ञात चोरों ने वादी के घर से 02 मोबाइल फोन व कुछ नगदी चोरी कर ली। इस सम्बंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 97/2025 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोगों में अभियुक्तगण 1.अजीम उर्फ अज्जू पुत्र व 2.नफीस पुत्र रईस निवासीगण ग्राम गांगू नंगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

दिनांक 06/07.06.2025 की रात्रि में थाना नगीना पुलिस को गस्त के दौरान मठेरी रोड पर 02 व्यक्ति ई-रिक्शा से जाते हुए दिखाई दिये। पुलिस टीम द्वारा इन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो इन व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरे बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम अजीम उर्फ अज्जू पुत्र कलुआ निवासी ग्राम गांगू नंगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर बताया तथा दूसरे ने अपना नाम नफीस पुत्र रईस निवासी ग्राम गांगू नंगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर बताया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये 02 मोबाइल फोन (रेडमी कम्पनी) व एक बैटरा (ल्यूमीनस कम्पनी) तथा घटना मे प्रयुक्त एक ई-रिक्शा व एक तमन्चा 315 बोर एवं एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोका कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। घायल अभियुक्त अजीम को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस मुठभेड के संबंध में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकरण आदि अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



अभियुक्त अजीम उर्फ अज्जू थाना हीमपुर दीपा का हिस्ट्रीशीटर (86/ए) अभियुक्त है। दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर गोवध, एन0डी0पी0एस0, गैंगस्टर एक्ट, लूट / चोरी आदि गम्भीर धाराओं में आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. अजीम उर्फ अज्जू पुत्र कलुआ निवासी ग्राम गांगू नंगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. नफीस पुत्र रईस निवासी ग्राम गांगू नंगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी -

02 मोबाइल फोन (रेडमी कम्पनी) व एक बैटरा (ल्यूमीनस कम्पनी)
घटना मे प्रयुक्त एक ई-रिक्शा व एक अवैध तमन्चा 315 बोर एवं एक जिन्दा व एक खोका कारतूस

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अजीम उर्फ अज्जू का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 109/2019 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 198/2019 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 61/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 305(क) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 97/2025 धारा 305(क) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर

अभियुक्त नफीस का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 215/19 धारा 392/411 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 345/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 341/21 धारा 379/411/414 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 305(क) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 97/2025 धारा 305(क) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. श्री तेजपाल सिंह, थानाध्यक्ष नगीना जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह उज्जवल थाना नगीना जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्री सरवेज खाँ थाना नगीना जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
5. हे0कां0 808 बिजेन्द्र सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर।
6. कां0 1575 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
7. कां0 1834 सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
8. कां0 209 आकाशवीर थाना नगीना जनपद बिजनौर।